(9)

गैस की अवैध लालटेनों की होडल में धड़ल्ले से बिक्री

होडल, 13 जून (नस)। आजकल शहर में पेट्रोमैक्स (गैस की लालटेन) की बिक्री भारी पैमाने पर हो रही है। अवैध रूप से बेची जा रही पेट्रोमैक्स की बिक्री से जहां कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है वही इनके द्वारा रसोई गैस की भी कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है।

शहर में एक भी पेट्रोमैक्स कंपनी का अधिकृत विक्रेता नहीं है। इसकी बिक्री के लिए विस्फोटक विभाग नागपुर व स्थानीय खाद्य आपूर्ति विभाग से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन स्थानीय दुकानदार किसी भी मंजूरी के बगैर इनकी भारी पैमाने पर बिक्री कर रहे है।

शहर में बिक रहे पेट्रोमैक्स लैम्प जहां घटिया व हल्की चदर के हैं वही ये बगैर आई.एस.आई के हैं। जो कभी भी फट सकते हैं और बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। शहर में गत दिनों दो मामले ऐसे हो भी चुके हैं। सौभाग्य है कि उनमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई अन्यथा चार पांच लोगों की जान भी जा सकती थी।

पैट्रोमैक्स के सिलेंडर के खाली हो जाने पर यही दुकानदार इन्हें दोबारा भर देते हैं। इन सिलेंडर में गैस भरने का तरीका बिल्कुल देशी है। गैस भरते समय भी दुर्घटना हो सकती है। दुकानदार रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर से पैट्रोमैक्स में गैस भरते हैं। इससे रसोई गैस की तो चोरी होती ही है। बल्कि गैस की कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। पैट्रोमैक्स की भारी पैमाने पर बिक्री से आम उपभोक्ता को खाना पकाने के लिए गैस मिलना भी मुश्किल हो जाता है।

पैट्रोमैक्स की बिक्री का कार्य करने वाले दुकानदारों ने कई-कई गैस कनेक्शन ले रखे हैं वह बड़े सिलेंडर लेकर उनमें से पैट्रोमैक्स में गैस भरते हैं। यही कारण है कि गैस की कमी न होने पर भी शहर में गैस की किल्लत बनी रहती है।

यहां गैस लालटेन प्रति नग साढ़े तीन सौ से पांच सौ रुपए तक बिक रही है। एक पैट्रोमैक्स में साढ़े तीन किलो ग्राम गैस आती है। गैस का मूल्य प्रति किलो ग्राम सवा आठ रुपए के लगभग है। जबकि दुकानदार पैट्रोमैक्स में साढ़े तीन किलो गैस 70 रुपए में भरते है रसोई गैस के एक सिलेंडर से चार पैट्रोमैक्स में गैस भरी जाती है। पैट्रोमैक्स में गैस भरने में जहां दुकानदार लोगों को लूटते हैं, वहीं इसकी खुली बिक्री से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

होडल में जो घटिया व हल्की चादर के पैट्रोमैक्स बेचे जा रहे हैं, वे फरीदाबाद और मथुरा में बन रहे हैं। इनके ऊपर न तो किसी कंपनी का नाम है और न ही कोई मोहर लगी है।

नव भारत टाइम्स 25-7-91

घरेलू गैस का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नभाटा समाचार

नोएडा : पुलिस ने घरेलू गैस का अवैध व्यापार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस सिलसिले में 58 सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें 23 भरे हैं। आठ लोगों को नामजद किया गया है।

पुलिस ने बताया कि घरेलू गैस के अवैध व्यापार के बारे में जांच करने की कार्रवाई जिला आपूर्ति विभाग की अनुशंसा पर की गई। विभाग को पता चला था कि कुछ लोग गिरोह बना कर दिल्ली से घरेलू गैस का व्यापार कर रहे हैं। हरिदर्शन चौकी के पास पुलिस ने छापा मार कर 58 सिलेंडर बरामद किए। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

घरेलू गैस के अवैध कारोबार से सालाना करोड़ों का चूना

कारोबार संवाददाता
नयी दिल्ली, 4 जून

अवैध गैस सिलिंडरों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री के चलते सरकार को सालाना करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उपभोक्ताओं को सरकारी अनुदान पर घरेलू गैस की आपूर्ति का 30 फीसदी हिस्सा नकली सिलिंडरों को भरने में चला जाता है। गैस की चोरी रोकने के लिए नियुक्त विभागों की गैरजिम्मेदारी के चलते बड़े पैमाने पर उत्पाद शुल्क व बिक्री कर का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं से जानमाल की भी क्षति हो रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस तरह के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए जल्दी ही कड़े कदम उठाये जाएंगे।

इंडियन ऑयल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलिंडरों पर 90 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी के चलते ही राजधानी में घरेलू गैस सिलिंडरों का दुरुपयोग बढ़ गया है। निजी कंपनियों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए इस अवैध कारोबार के बीच इनका टिक पाना मुश्किल हो गया है।

अवैध व घटिया गैस सिलिंडरों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में होता है। यहां से देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका वितरण होता है। इसके चलते सरकार से लाइसेंस लेकर करोड़ों रुपये का निवेश कर गैस वितरण के क्षेत्र में उतरी कंपनियों के बुरे हाल हैं।

23 अवैध रसोई गैस सिलेंडर बरामद

जागरण संवाददाता

नोएडा, 2 जुलाई। जिला आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस सिलेंडरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 23 गैस सिलेंडर पकड़े हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी एस. के. सिंह के अनुसार आपूर्ति निरीक्षक कुलवंत सिंह यादव, आर. पी. यादव एवं एस. के. भटनागर ने जांच के दौरान सेक्टर 11 के एफ-ब्लाक में न्यू कौंडली निवासी अनिल को पकड़ा। उसके पास से 18 भरे तथा 14.5 के बड़े इंडेन के खाली सिलेंडर बरामद किए।

उसके पास से सात रिफीलर, तीन खराब रेगुलेटर व एक बुझाने का यंत्र और वाशर भी बरामद किया गया। युवक के पास इस सामान से संबंधित कोई कागजात नहीं थे। इस संबंध में थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिलाआपूर्ति अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि यह छापे जारी रहेंगे और एल. पी. जी. गैस का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।